न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 47 / 2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सांवरमल पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 उमेश कुमार पुत्र छोटूराम जाति मीणा निवासी नयावासी तन ग्राम लाखा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 रामोतार पुत्र भागीरथ।
3 भगवाना पुत्र सुरजा।
4 ओमप्रकाश पुत्र गणपत।
5 गीता पत्नी रामोतार।
6 महीपाल पुत्र रामोतार।
7 अशोक पुत्र रामोतार।
8 नन्दु पुत्र रामोतार।
9 श्रीमती मूली देवी पत्नी रामचन्द्र।
10 बजरंग लाल पुत्र रामचन्द्र।
11 पिंकु पुत्री रामचन्द्र।
12 कमलेश पुत्र रामचन्द्र।
13 प्रेम देवी पत्नी बाबूलाल।
14 राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल।
15 बिरजू पुत्र बाबूलाल।
16 दौला पुत्री बाबूलाल।
17 कौशल्या देवी पत्नी मदनलाल।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

18 मनोज पुत्र मदनलाल।
19 अनिल पुत्र मदनलाल।
20 सरदारा पुत्र भागू उर्फ भागला।
21 बाबूलाल पुत्र भागू उर्फ भागला।
22 सरोज देवी पत्नी लालसिंह।
23 राजा पुत्र लालसिंह।
24 विजय पुत्र लालसिंह रेस्पोडेंट संख्या 23,24 नाबालिग जरिये संरक्षक माता सरोज देवी समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
25 जयपाल पुत्र रामसहाय।
26 मामराज पुत्र रणजीत राम।
27 सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुगनचन्द।
28 मौतम पुत्र रामसहाय समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम कल्याणपुरा तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
29 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
30 पटवारी हल्का ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
31 उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय श्रीमाधोपुर।
32 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये मैनेजर।
33 राधेश्याम पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर दावा संख्या 546/2017 उनवानी उमेश कुमार बनाम रामोतार दिनांक 12.05.18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री सांवलता अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मानप्रकाश अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सागरमल धायल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14-1-19

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर द्वारा दावा संख्या 546/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.5.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 931/2 बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2018 से प्राथमिक डिक्री जारी की है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने समस्त खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब दावे में चल रही थी एवं आगामी तिथि 23.07.2018 नियत थी विचारण न्यायालय ने अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता की कोई सहमती नही होने के उपरान्त बिना सुचना के पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर नियत तिथि से पूर्व दिनांक 12.05.2018 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन प्राथमिक डिक्री पारित कर दी है। जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय के दिन अपीलांट स्वंय उपस्थित था उसकी सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को जवाब दावा पेश करने हेतु काफी अवसर दिये है अपीलांट की अपील सारहीन है खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली से जाहिर होता है कि आदेशिका में दिनांक 16.04.2018 को विचारण न्यायालय ने अंकित किया है कि " पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब हेतु अन्तिम हिदायत दी जवाब प्रस्तुत न करने पर जवाब स्वत बंद समझा जावे पत्रावली दिनांक 30.04. 2018 को पेश हो" इसके उपरान्त आदेशिका में 30.04.2018 की कोई आदेशिका नही लिखी गई है। अपितु 01.05.2018 की आदेशिका अकित है जिसमें दो तिथि दिनांक 23.07.2018 एवं दिनांक 12.05.2018 अंकित है इससे यह स्पष्ट नही होता है कि पत्रावली 23.07.2018 के लिए नियत की गई है अथवा 12.05.2018 के लिए नियत की गई है। इसके उपरान्त 12. 05.2018 का विचाराधीन आदेश अंकित है जिसमें अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को उपस्थित बताकर उसके द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने पर आपत्ति नही होना जाहिर किया गया है। दिनांक 12.05.2018 को पत्रावली कैम्प कोर्ट थोई में प्रस्तुत हुई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा 30.04. 2018 की आदेशिका क्यों नही लिखी गई इसका कोई कारण उपलब्ध नही है। दिनांक 01.05.2018 को आदेशिका पर पत्रावली में दो तिथियां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 23.07.2018 एवं 12.05.2018 नियत की गई जो परस्पर विरोधाभाषी है यहां यह भी विचारणीय है कि दिनांक 01.05.2018 को अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता को दिनांक 12.05.2018 को कैम्प कोर्ट की सूचना का कोई इन्द्राज आदेशिका पर नही है। दिनांक 12.05.2018 के विचाराधीन आदेश की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट की उपस्थिति होने एवं आपत्ति नही होने का अंकन है किन्तु आदेशिका पर अपीलांट के आपत्ति नही होने के अथवा उपस्थिति के कोई हस्ताक्षर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2018 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.1.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

14.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर